

अहमद
हुकम का
में जारी हुआ

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील में
जारी हुए

11/08/21

पत्रावली काउ चेरा हुये वकील खाशी
उपस्थिता वकील खाशी द्वारा विजकीण
के समान खाफ द्वारा अकाल रसीदे
पैरा भी रसीदे शामिल फावली की
गये। विजकीण हुकमस्थिता विजकीण
के कोई समय केतीन वार तीन-तीन
आगेके दिनांक गये वापसु काल
दिनांक के नकदस्थित रहे के
विजकीण के विरुद्ध एक तरफा कार्रवाई
की जाती है वकील खाशी के फावली
पर एक दुबरी। किराया काल के खिलाफ
जाकर हुके नमाना हुकम गला
कादेश की पालनार्थ तद्वीर जारी
हो। पालन खाफ होने पर शामिल
पत्रावली की जॉर्ज पत्रावली विरुद्ध
हुकर होकर इतिवत उपर हो।

 हुकम जारी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी (बाड़मेर)

पीठारसीन अधिकारी श्री रामजी भाई कलवी आर.ए.एस

प्रकरण संख्या: 169/2022

प्रार्थीगण :-

1. देवाराम पुत्र खंगाराराम
जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी बेरीगांव तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :-

1. हीराराम पुत्र अमराराम
जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी बेरीगांव तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
2. तहसीलदार गुड़ामालानी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित

1. श्री डालूराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण

-:: आदेश ::-

दिनांक :- 11.08.2023


प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपटित धारा 128 रा. भूरा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरुद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के विरुद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री डालूराम चौधरी की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी सम्बत् 2078 (वर्ष 2021) से स्थाई सरहद मौजा बेरीगांव पटवार क्षेत्र बेरीगांव तहसील गुड़ामालानी के खेत खसरा नम्बर 256/169 रकबा 0.3237 हैक्टेयर का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माटे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पड़ौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थी विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि मौजा बेरीगांव पटवार क्षेत्र बेरीगांव तहसील गुड़ामालानी के खेत खसरा नम्बर 256/169 रकबा 0.3237 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर

चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक पीपराली को 1000/- शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना गुड़ामालानी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक11/08/23..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।


(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

क्रमांक: वाद/2023/ 878

दिनांक : 11.08.2023

प्रार्थीगण

बनाम

विप्रार्थीगण

देवाराम

हीराराम वगैरा

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु
नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी

राजस्व आवेदन सं.....169/2023..

निर्णय दिनांक :- 11.08.2023

—: आदेश :-

उपरोक्त प्रकरण में ग्राम बेरीगांव के खेत खसरा नम्बर 256 रकबा 0.3237 हैक्टेयर की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक पीपराली.....को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीश रूपये1000/-...प्रार्थीगण अदा करेंगे।


उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।


उपखण्ड अधिकारी,
गुडामालानी

क्रमांक: वाद/2023/ 879-884
प्रतिलिपि :

दिनांक : 11.08.2023

1. तहसीलदार गुडामालानी
2. थानाधिकारी.....गुडामालानी
3. भू-अभिलेख निरीक्षक पीपराली।
4. हल्का पटवारी....बेरीगांव. को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
5. प्रार्थीगण.....देवाराम पुत्र खंगाराराम
6. विप्रार्थीगण.....हीराराम वगैरा....


उपखण्ड अधिकारी,
गुडामालानी